## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 115/2022

अनवान : –

1. दलीपसिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपुत निवासी ललानिया तहसील नोहर।

– सायल

**बनाम्**

1. शंकरलाल पुत्र सहीराम जाति जांगिड़ साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
2. आईदान पुत्र रूपाराम जाति खाती साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
3. देवीलाल पुत्र रूपाराम जाति खाती साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
4. बेगराज पुत्र रावताराम जाति जांगिड़ साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
5. महेन्द्र पुत्र रावताराम जाति जांगिड़ साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
6. जुगलाल पुत्र खिराजराम जाति जांगिड़ साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
7. दलीप कुमार पुत्र खिराजराम जाति जांगिड़ साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
8. सरोज पुत्री खिराज राम जाति जांगिड़ साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
9. कमला पत्नी कृष्णलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति जांगिड़ साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
10. सुरेश पुत्र कृष्णलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति जांगिड़ साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
11. सन्दीप पुत्र कृष्णलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति जांगिड़ साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
12. जगदीश पुत्र रामेश्वरलाल जाति जांगिड़ साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
13. शादरा पत्नी प्रताप पुत्र रामेश्वरलाल जाति जांगिड़ साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
14. पवन पुत्र प्रताप पुत्र रामेश्वरलाल जाति जांगिड़ साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
15. अनिल पुत्र प्रताप पुत्र रामेश्वरलाल जाति जांगिड़ साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
16. राजबाला पुत्री महेन्द्र जाति जांगिड़ साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
18. उप पंजीयक कार्यालय तहसील नोहर।

– गैरसायालान

**प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा**
**अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.**

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**
श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **गैरसायलान**

**निर्णय** दिनांक: 27/3/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता स[illegible]7 के साबिका ख0न0 60 की 49 बीघा 17 बिस्वा भूमि ख0न0 115 मीन 30 [illegible] बीघा 17 बीस्वा व ख0न0 115 मीन की 45 बीघा 17 बीस्वा जगदीश [illegible] मीन की 45 बीघा [illegible] बिस्वा बाघोसिंह एवं ख0न0 115 मीन 45 बीघा 17 बिस्वा सोहनसिंह [illegible]ुल 5 किता की 217[illegible] 4 बिस्वा भूमि थी जिसके वे खातेदार काश्तकार थे। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी सम्वत् 2014 से 2017 संलग्न

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:51:00 IST
Reason: SelfAttested

है। गत भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा रोही मौज ललानिया तहसील नोहर के साबिका ख0न0 115 मीन की हाल ख0 न0 196, 207, 333, 338 में पैमूद व परिवर्तित हुए जो प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल संलग्न है।

वाद भूमि भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा ख0न0 196, 207, 333, 338 जो कि साबिका ख0न0 115 मीन में परिवर्तित एवं पैमुद है को सहीराम वल्द हेमा कौम जांगिड़ ब्रहामण साकिन खरसण्डी के नाम अनुचित तौर से दर्ज कर दी गई तत्पश्चात गैरसायलान सं0 1 ता 16 ने खाता विभाजन करवाकर वाद भूमि अपने नाम अनुचित तरीके से दर्ज करवा ली जो गैरसायल सं0 1 के नाम रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता स0 167/156 के ख0न0 372/196 की 0.4550 हैक्टर ख0न0 383/207 की 0.5190 हैक्ट कुल खसरेजात की 0.9740 हैक्ट गैरसायल स0 1 काश्तकार है एवं खाता सं0 51/140 के ख0न0 375/333 की 0.7210 हैक्ट भूमि ख0न0 380/338 की 0.5310 हैक्ट भूमि ख0न0 381/207 की 0.3160 हैक्ट कुल 3 खसरेजात की 1.5680 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 2 का 1/2 हिस्सा व गैरसायल स0 3 का 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार दर्ज है तथा रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता स0 164/137 के ख0न0 376/333 की 0.5190 हैक्ट भूमि ख0न0 379/338 की 0.3790 हैक्ट कुल 2 खसरेजात की 0.8980 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 4 का 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं गैरसायल स0 5 का 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। खाता स0 45/21 के ख0न0 377/333 की 0.6710 हैक्ट भूमि ख0न0 678/338 की 0.6070 हैक्ट कुल 2 खसरेजात की 1.2780 हैक्ट भूमि स्थित है जिसमें गैरसायल स0 6 का 5/12 हिस्सा, गैरसायल स0 7 का 5/12 हिस्सा व गैरसायल स0 8 का 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। खाता स0 21/133 के ख0न0 373/196 की 0.1770 हैक्ट ख0न0 374/333 की 0.3670 हैक्ट भूमि ख0न0 382/207 की 0.7340 हैक्ट भूमि कुल 3 खसरेजात की 1.2780 हैक्ट भूमि में गैरसायलान न0 9 ता 11 की सयुक्ततः 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं गैरसायल सं0 12 का 1/4 हिस्सा, गैरसायल सं0 13 ता 15 का 1/4 हिस्सा व गैरसायल स0 16 का 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है जबकि उक्त भूमि के सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण के मौरूसान खातेदार काश्तकार थे। भू प्रबन्धक विभाग द्वारा गैरसायलान ने अनुचित व गलत तरीके से दर्ज करवा दी। भू प्रबन्धक विभाग को सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण के मौरूसान की खातेदारी भूमि गैरसायलान के नाम दर्ज किये जाने का कानूनी क्षेत्राधिकार हासिल नही था। उक्त कृत्य में सायल व दावा मैं दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण के हकुक के खिलाफ व कानून विरूद्ध है इसलिए सायल गैरसायलान के नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है। रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता स0 167/156 के ख0न0 372/196 की 0.4550 हैक्ट ख0न0 383/207 की 0.5190 हैक्ट भूमि कुल 0.9740 हैक्ट भूमि, खाता स0 51/140 के ख0न0 375/333 की 0.7221 हैक्ट ख0न0 380/338 की 0.5310 हैक्ट भूमि ख0 न0 381/207 की 0.3160 हैक्ट कुल 1.5680 हैक्ट भूमि व ख0न0 376/333 की 0.5190 हैक्ट भूमि ख0न0 379/338 की 0.3790 हैक्ट0 कुल 0.8980 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 45/121 के 3377/333 की 0.6710 हैक्ट ख0न0 378/338 की 0.6070 हैक्ट भूमि कुल 1.2780 हैक्ट भूमि खाता स0 21/133 के ख0न0 373/196 की 0.1770 हैक्ट ख0न0 374/333 की 0.3670 हैक्ट भूमि ख0न0 382/207 की 0.7340 हैक्ट कुल 1.2780 हैक्ट भूमि स्थित है। जिसमें गैरसायलान का नाम कलमजन करवाकर सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण स0 18 ता 23 का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण स0 24 ता 32 व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण स0 33 ता 35 संयुक्ततः 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। दावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:51:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नोहर

में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण स0 36 ता 39 संयुक्ततः व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण स0 40 ता 45 का 1/4 हिस्सा व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण स0 46 ता 50 व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण स0 51 ता 56 संयुक्ततः 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण उपरोक्तानुार अपना नाम वाद भूमि में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वाद भूमि गैरसायल के नाम अनुचित व गैर कानूनी ढंग से दर्ज कर दी उनका वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नही है वाद भूमि के सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है। गैरसायल स0 1 ता 16 के वाद भूमि अनुचित व गलत तौर से दर्ज होने के कारण गैरसायल स0 1 ता 16 लालचवंश वाद भूमि रहन/बैय व फरोख्त करने पर आमाद है यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायल को एवं दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति होती है प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन व साम्य न्याय व प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त सायल के पक्ष में है। लिहाजा यह प्रार्थना पत्र मय हल्फनामा सायल पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें की उक्त विवादित भूमि को गैरसायलान को अन्यत्र रहन/बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्व रहे एवं सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में मदाखलत बैजा ना करें। मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा ललानिया के खाता स0 167/156 की कुल 0.9740हैक, खाता 21/133 की कुल 1.2780हैक, खाता स0 51/140 की कुल 1.5680है0, खाता स0 164/137 की 0.8990है0 व खाता स0 45/21 की 1.2780हैक भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री रविन्द्र गोदारा ने वकालतनामा पेश किया। गैरसायलान सं0 1 ता 14 व 16 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की वाद भूमि सहीराम पुत्र हेमा खाती के नाम दर्ज थी जिसके हम रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थे जो कि आगे नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में चली आ रही है। उक्त विवादित भूमि सही राम पुत्र हेमा के नाम विधिवत रूप से दर्ज की गई थी जिसमें सहीराम पुत्र हेमा उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार था जिसका नाम सम्पूर्ण गिरदावरी में दर्ज था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा ख के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हुआ तथा राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण स0 64 दिनांक 16.04.1960 को दर्ज व मंजुर हुआ तथा भूप्रन्धन विभाग द्वारा खसरा न0 115 मिन की 45 बीघा जो की खसरा परिवर्तन करते समय 25 बीघा दर्ज कर दी तथा राजस्व रिकार्ड में हाल खसरा न0 196, 207, 333, 338 की कुल 5.9944है0 भूमि दर्ज कर दी गई तथा उत्तरदातागण काश्त करते व रकम राज अदा करते आ रहे है। सायल विवादित भूमि में किसी भी श्रेणी का काश्तकार नही है। विवादित भूमि में सायल का किसी प्रकार का कब्जा नही है। कब्जा के अभाव में दावा व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट चलने योग्य नही होने के कारण खारीज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:31:00 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने तर्क की पुष्टि में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2006 पेज न0 305, आर0आर0टी0 2018–19 पेज न0 531, 618 व आर0बी0जे0 1996 पेज न0 509 पेश कियें जिनका हमने मार्गदर्शी सिद्धान्तों के रूप में उपयोग किया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नोहर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी आदि का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि विवादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? सायल एवं गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट प्रमाणित है कि प्रस्तुत जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, नामान्तरकरण स0 64 दिनांक 16.04.1960 से वादग्रस्त भूमि गैरसायलान के पूर्वज सहीराम वल्द हेमा कौमा खाती साकिन खरसण्डी के खुदकाश्त कब्जा काश्त की भूमि थी जो जरिये इन्तकाल स0 64 दिनांक 16.04.1960 द्वारा काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे, तभी से लेकर आज तक पहले सहीराम व बाद फौतदगी उनके वारिसान (गैरसायलान) के आज तक निरन्तर साधिकार निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त में बतौर खातेदार काश्तकार चली आ रही है। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला सायलान को प्रमाणित करना होता है तथा उन्हें यह दिखाना/साबित करना आवश्यक है कि वे वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। इस प्रकरण में सायलान का यह कथन कि खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए उन्होंने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 88 के अन्तर्गत दावा भी कर रखा है परन्तु वर्तमान प्रकरण में स्थिति यह है कि गैरसायलान के पूर्वज सहीराम की खुदकाश्त की भूमि थी जिसका दिनांक 16.04.1960 को टिनेंसी एक्ट की धारा–19 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये, तभी से लेकर आज तक गैरसायलान बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है तथा लगान अदा करते आ रहे है एवं अधिकारों की घोषणा मूल दावा के अन्तिम निर्णय में तय होना है। उपरोक्त विवेचन स्वरूप गैरसायलान बतौर खातेदार काश्तकार काबिज होने से उनके पक्ष में मामला मजबूत है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन गैरसायलान के पक्ष में बनता है तथा निषेधाज्ञा जारी होने से अपूर्णीय क्षति भी गैरसायलान को ही होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षत्ति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए गैरसायलान जो की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है को निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम काबिल खारिज होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 21.12.23 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:51:00 IST
Reason: SelfAttested